प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र /......................

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/9/25	वकील वादी उप. / वकील वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे बहस का निवेदन करने पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 25/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
25/9/25	वकील वादी उप. / अन्य कार्य मे व्यस्त होने से निर्णय नही लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 01/10/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
1/10/25	वकील वादी उप. / पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वादी प्रकरण में मोलचन्द जी की सम्पत्ति पर अपना विधिक अधिकार सिद्ध करने मे असफल रहा। वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. मि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
61/दावा/2015	09.09.2015	01.10.2025

मोडू लाल आयु 60 साल पुत्र श्री धूल्या जाति नाई निवासी तीरथ तहसील तालेडा जिला बुन्दी राजस्थान

वादी

बनाम

1. मानी बाई आयु 78 साल बेवा लालचन्द जाति नाई निवासी तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी *(आदेशिका दिनांक 22.11.2024 की पालना में नाम विलोपित)*
2. बरजी बाई आयु 50 साल पुत्री लालचन्द पत्नी गिर्राज नाई निवासी बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. विमला बाई आयु 46 साल पुत्री लालचन्द पत्नी बृजमोहन नाई निवासी रोटेदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये भूमिधारी तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी राज0

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री विनय कुमार सक्सेना
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89,92ए एवं 188 आर.टी.एक्ट 1955

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92ए एवं 188आर.टी.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाद से संबंधित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1605 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा बारानी तृतीय ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है जिसको इस वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार स्वर्गीय लालचन्द एवं वादी पुत्र धुल्या नाई निवासी तीरथ है । लालचन्द की मृत्यु दिनांक 8–2–2011 को हो गयी। प्रतिवादी सख्या–1 उनकी बेवा है और प्रतिवादी कम–2 एवं 3 उनकी पुत्रियां है। उपरोक्त कृषि भूमि चम्बल नदी के किनारे पर स्थित है जो शुरू से ही खाल, खदड के रूप में थी जिसमें काश्तकारी किया जाना सम्भव नहीं था और स्वर्गीय लालचन्द काश्त करने की स्थिति में नहीं थे इसलिये उन्होने दिनांक 18.6.2008 को अपने हिस्सा 1/2 को वादी को समर्पित करते हुए समर्पण पत्र आलेखित किया जिसमें उन्होने कहा कि उपरोक्त भूमि में उनके द्वारा निष्पादित समर्पण पत्र परिणामस्वरूप समाप्त हो गये है और उनका वादी मालिक एवं एकमात्र खातेदार हो गया है वह अपने परिश्रम व पूंजी से वादग्रस्त कृषि भूमि को समतल कर उसको कृषि योग्य बनाये और उसमें काश्तकारी करे। उनके द्वारा उपरोक्त प्रकार से उनके हिस्से का वादी को समर्पण हो जाने के पश्चात वादी ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को समतल करने की कार्यवाही शुरू की। समतलीकरण के दोरान दिनांक 8.2.2011 को लालचन्द की मृत्यु हो गयी तब वादी ने उनकी बेवा प्रतिवादी कम–1 व दोनो पुत्रीयों प्रतिवादी कम–2 व 3 से स्वर्गीय लालचन्द के द्वारा निष्पादित समर्पण पत्र को दिखाते हुए कहा कि यदि उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वादी को उसके आधे हिस्से की समतलीकरण करने में व्यय हुयी पुंजी को उसको वापस कर दे और आधे हिस्से की जमीन प्राप्त कर ले। इस पर प्रतिवादी कम–1,2 व 3 ने वादी से कहा कि उनकी सहमति लेकर ही स्वर्गीय लालचन्द ने समर्पण पत्र दिनांक 18–6–2018 को आलेखित कर उसका कब्जा वादी को संभलाया है। इसलिये वे भी वादी को उक्त पूरी भुमि का मालिक एवं खातेदार मानती है और उसके संबंध में अपना किसी प्रकार का अधिकार उत्पन्न नहीं होना मानती है। उनके इस आश्वासन पर वादी ने 2011 से अब तक उक्त भूमि के समतलीकरण में लगभग 8 लाख रूपये व्यय कर उसे कृषि योग्य बनाया है और जब वह कृषि योग्य बन गयी है और उसमें वादी फसल करने लगा है तो प्रतिवादी कम 1,2, व 3 ने दिनांक 24.06.2015 को वादी से कहा कि वह लालचन्द के हिस्से की आधी भूमि को

Scanned with OKEN Scanner

उसको वापस संभलाये अन्यथा वे वादग्रस्त भूमि के आधे भाग में अपना इन्तकाल तस्दीक करवाकर उसके मालिक बन जावेगें और उसके वर्तमान बाजारू कीमत पर किसी अन्य को बेच देगें। प्रतिवादी कम 1,2 व 3 के उपरोक्त आचरण एवं धमकी से वादी को यह भय हो गया है कि वे वादग्रस्त भूमि में लालचन्द द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित समर्पण पत्र को छिपाकर लालचन्द के हिस्से की भूमि पर अपना नाम जरिये इन्तकाल तस्दीक करवाकर और तदनुसार जमाबन्दी में अपना नाम 1/2 सहखातेदार दर्ज करवाकर उसको किसी भी अन्य व्यक्ति को बेच देंगें जबकि उनको इस प्रकार का कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है क्योकि वे स्वर्गीय लालचन्द के समर्पण पत्र दिनांक 18-6-2018 से पाबंद है और अपने इस कथन से भी पाबंद है जिसको उनके द्वारा कहे जाने पर ही वादी ने उपरोक्त भूमि के समतलीकरण में 8 लाख रूपये खर्च कर उसको कृषि योग्य बनाया है।वाद पत्र के चरण सं. 2 लगायत 4 में वर्णित अभिकथनों से वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वर्गीय लालचन्द के आधे हिस्से का खातेदार घोषित करवाने तदनुसार भू अभिलेख शुद्ध करवाने एवं प्रतिवादी कम 1,2.3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वादी के पास अन्य कोई इतनी ही प्रभावी रेमेडी उपलब्ध नहीं है तदनुसार वाद पत्र प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 18-6-2008 को लालचन्द द्वारा वादी के पक्ष में लिखे गये उक्त समर्पण पत्र को मानने से इन्कार करने एवं आराजी को अपने नाम इन्तकाल खुलवाकर अन्य को बेचने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जावे वादी को खसरा नम्बर 1605 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा बारानी तृतीय ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी का खातेदर घोषित किया जावे तदनुसार भू-अभिलेख का शुद्ध किया जावे एवं प्रतिवादी कम 1,2,3 को स्थामी निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे कि वे उक्त भूमि रहन बय बेचान न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा वाद व्यय एवं अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित समझे वह भी प्रदान की जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रतिवादीगण वाद वर्णित आराजी के रेकार्डेड खातेदार है। वादपत्र की चरण सं0 3 में जिस दस्तावेज के बाबत तथ्य अंकित किया गया है वह असत्य होने से स्वीकार नहीं अस्वीकार है। लालचन्द जी ने कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है। उक्त आराजी पर लालचन्द जी का कब्जा रहा है एवं लालचन्द जी के देहान्त पश्चात् प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है खारिज योग्य है। वादी ने जिस दस्तावेज के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है वह दस्तावेज लालचन्द जी ने निष्पादित नहीं किया है। दस्तावेज फर्जी तरीके से वादी द्वारा तैयार कर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी का वाद अवधि बाधित है। इस आधार पर वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर दिनांक 09.01.2020 को निम्न तनकीयात् कायम की गई-

1. आया स्वर्गीय लालचन्द ने अपने जीवन काल में दिनांक 18.06.2008 को अपना हिस्सा 1/2 वादी सगा भाई होने से इकरार नामा (समर्पण पत्र) वादी के पक्ष में आलेखित कर वाद ग्रस्त आराजी ख0सं0 1605 रकबा 4.17 बीघा वाके ग्राम व माल तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बूंदी में से अपने हक-हकूक समाप्त कर लिये, वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी

2. आया उपरोक्त वर्णित आराजी बाबत स्वर्गीय लालचन्द द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित इकरार नामा हक-हकूक त्याग करने का बिना किसी दबाव के लिखा व निष्पादित करवाया गया है।

वादी

3. आया उपरोक्त वर्णित आराजी पर वादी दिनांक 18.06.2008 से निरन्तर काबिज है, एवं वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर प्रतिवादी को कब्जे काश्त, रहन बये नहीं करने बाबत पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

वादी

4. आया कि लालचन्द ने कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया तथा दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार कर वाद पेश किया गया।

प्रतिवादी

5. आया कि वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा है।

प्रतिवादी

Scanned with OKEN Scanner

6. आया उपरोक्त वर्णित आराजी बाबत प्रतिवादीगण के पिता व पति लालचन्द ने कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया एवं वादी का कब्जा नहीं हैं। इस कारण दावा खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादी

7. अनुतोष।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 24.08.2025 को पारित की गई।

वकील वादी द्वारा साक्ष्य में वादी मोड़ूलाल, गवाह देवीशंकर, जगदीश सेन व किशनलाल के शपथ पत्र पेश किये गये।

वकील वादी ने स्वयं वादी मोड़ूलाल का साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि चम्बल नदी के किनारे पर स्थित है जो शुरू से ही खाल, खदड के रूप में थी जिसमें काश्तकारी किया जाना सम्भव नहीं था और स्वर्गीय लालचन्द काश्त करने की स्थिति में नहीं थे इसलिये उन्होने दिनांक 18.6.2008 को अपने हिस्सा 1/2 को वादी को समर्पित करते हुए समर्पण पत्र आलेखित किया जिसमें उन्होने कहा कि उपरोक्त भूमि में उनके द्वारा निष्पादित समर्पण पत्र परिणामस्वरूप समाप्त हो गये है और उनका वादी मालिक एवं एकमात्र खातेदार हो गया है वह अपने परिश्रम व पूंजी से वादग्रस्त कृषि भूमि को समतल कर उसको कृषि योग्य बनाये और उसमें काश्तकारी करे। उनके द्वारा उपरोक्त प्रकार से उनके हिस्से का वादी को समर्पण हो जाने के पश्चात वादी ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को समतल करने की कार्यवाही शुरू की। समतलीकरण के दोरान दिनांक 8.2.2011 को लालचन्द की मृत्यु हो गयी तब वादी ने उनकी बेवा प्रतिवादी कम–1 व दोनो पुत्रीयों प्रतिवादी कम–2 व 3 से स्वर्गीय लालचन्द के द्वारा निष्पादित समर्पण पत्र को दिखाते हुए कहा कि यदि उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वादी को उसके आधे हिस्से की समतलीकरण करने में व्यय हुयी पुंजी को उसको वापस कर दे और आधे हिस्से की जमीन प्राप्त कर ले। इस पर प्रतिवादी कम–1,2 व 3 ने वादी से कहा कि उनकी सहमति लेकर ही स्वर्गीय लालचन्द ने समर्पण पत्र दिनांक 18–6–2018 को आलेखित कर उसका कब्जा वादी को संभलाया है। इसलिये वे भी वादी को उक्त पूरी भुमि का मालिक एवं खातेदार मानती है और उसके संबंध में अपना किसी प्रकार का अधिकार उत्पन्न नहीं होना मानती है। उनके इस आश्वासन पर वादी ने 2011 से अब तक उक्त भूमि के समतलीकरण में लगभग 8 लाख रूपये व्यय कर उसे कृषि योग्य बनाया है और जब वह कृषि योग्य बन गयी है और उसमें वादी फसल करने लगा है तो प्रतिवादी कम 1,2, व 3 ने दिनांक 24.06.2015 को वादी से कहा कि वह लालचन्द के हिस्से की आधी भूमि को उसको वापस संभलाये अन्यथा वे वादग्रस्त भूमि के आधे भाग में अपना इन्तकाल तस्दीक करवाकर उसके मालिक बन जावेगें और उसके वर्तमान बाजारू कीमत पर किसी अन्य को बेच देगें। प्रतिवादी कम 1,2 व 3 के उपरोक्त आचरण एवं धमकी से वादी को यह भय हो गया है कि वे वादग्रस्त भूमि में लालचन्द द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित समर्पण पत्र को छिपाकर लालचन्द के हिस्से की भूमि पर अपना नाम जरिये इन्तकाल तस्दीक करवाकर और तदनुसार जमाबन्दी में अपना नाम 1/2 सहखातेदार दर्ज करवाकर उसको किसी भी अन्य व्यक्ति को बेच देगें जबकि उनको इस प्रकार का कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है क्योकि वे स्वर्गीय लालचन्द के सर्म्पण पत्र दिनांक 18–6–2018 से पाबंद है और अपने इस कथन से भी पाबंद है जिसको उनके द्वारा कहे जाने पर ही वादी ने उपरोक्त भूमि के समतलीकरण में 8 लाख रूपये खर्च कर उसको कृषि योग्य बनाया है। मुझ वादी के द्वारा ही स्व0 लालचन्द व स्व0 मानीबाई (प्रतिवादी कम 1) का वारिस स्वरूप सम्पूर्ण कियाकम मृत्यु उपरान्त सम्पन्न किया गया है। तथा सम्पूर्ण खर्चा भी वहन किया गया है तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपने वारिसानो की सहमति से सहमति पत्र मुझ वादी के पक्ष में उक्त विवादित भूमि को रिलिज करवाने हेतु निष्पादित करते हुए समाज के व्यक्तियो के सामने सुपुर्द किया है। अपने शपथ पत्र क समर्थन में वादी द्वारा नकल जमाबन्दी खाता सं0 602 वाके ग्राम तीरथ संवत 2068–71 प्रदर्श–1, इकरारनामा लालचन्द दिनांक 18.6.2008 प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र लालचन्द प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र माणीबाई प्रदर्श –4, सहमति इकरारनामा दिनांक 20.7.2019 प्रदर्श–5 एवं सहमति प्रमाण पत्र दिनांक 8.5.2012 प्रदर्श–6 पेश किये । जिरह वकील प्रतिवादी शून्य रही। वादी की ओर से **गवाह देवीशंकर** ने शपथ पत्र पेश कर अंकित किया की मोड़ूलाल व लालचन्द दोनों सगे भाई है। लालचन्द के पुत्र संतान नहीं होने से गांव क पंच व्यक्तियों के समक्ष मेरे से बक्शीशनामा आलेखित करवाया था जिसका में साक्षी हूँ। जिसमें लालचन्द के द्वारा अपना हिस्सा मोड़ूलाल के पक्ष मैं कर दिया था। आराजी ख0सं0 1605 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण आराजी का मोड़ूलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मोड़ूलाल द्वारा इकरार नामे के पश्चात कृषि भूमि को समतल करवाया गया । **गवाह जगदीश सेन** ने अपने बयानों में अंकित किया की लालचन्द के द्वारा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि हकत्याग

Scanned with OKEN Scanner

कर दी थी जिसे मोड़ूलाल ने समतल कर कृषि योग्य बनाया। दिनांक 08.05.2012 व दिनांक 20.07.19 को बरधी बाई व विमला बाई ने अपना नाम राजस्व रेकार्ड से हटाने हेतु एक सहमति पत्र इकरारनामा गांव के पंच के समक्ष आलेखित करवाया था जिस पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। गवाह किशनलाल ने अपने बयानो में अंकित किया कि लालचन्द के द्वारा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि हकत्याग कर दी थी जिसे मोड़ूलाल ने समतल कर कृषि योग्य बनाया। दिनांक 20.07.19 को बरधी बाई व विमला बाई ने अपना नाम राजस्व रेकार्ड से हटाने हेतु एक सहमति पत्र इकरारनामा गांव के पंच के समक्ष जगदीश सेन से आलेखित करवाया था जिस पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने से बहस एकपक्षीय सुनी गई ।

दौराने बहस वकील वादी ने अवगत करवाया कि वाद विषयक कृषि भूमि वाके ग्राम तीरथ आराजी ख0सं0 1605 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण आराजी का मोड़ूलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मोड़ूलाल द्वारा इकरार नामे के पश्चात कृषि भूमि को समतल करवाया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में बयान गवाह करवाये गये एवं प्रतिवादीगण द्वारा भी वादी के पक्ष में सहमति पत्र निष्पादित करवाया गया है जिससे प्रतिवादीगण के वाद वर्णित आराजी पर अब कोई हक अधिकार नहीं बचे है वाद वर्णित आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है अतः वाद वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण के नाम विलोपित किये जाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

वाद का तनकी वार निर्णय निम्नानुसार है:-

1. **आया स्वर्गीय लालचन्द ने अपने जीवन काल में दिनांक 18.06.2008 को अपना हिस्सा 1/2 वादी सगा भाई होने से इकरार नामा (समर्पण पत्र) वादी के पक्ष में आलेखित कर वाद ग्रस्त आराजी ख0सं0 1605 रकबा 4. 17 बीघा वाके ग्राम व माल तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बूंदी में से अपने हक-हकूक समाप्त कर लिये, वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा उक्त तनकीयात को साबित करने बाबत इकरारनामा दि0 18.6.2008 प्रदर्श-2, सहमति पत्र दिनांक 08.05.2012 प्रदर्श 6 एवं सहमति पत्र इकरारनामा दिनाक 20.7.2019 प्रदर्श-5 पेश किये गये एवं बयान स्वयं, गवाह देवीशंकर, जगदीश सेन व किशनलाल पेश किया गया। वादी की ओर से पेश सहमति पत्र/इकरारनामा सादा कागज एवं नॉनज्युडिशल स्टाम्प पर आलेखित है किन्तु उक्त दस्तावेजात् रजिस्टर्ड नहीं है। यदि लालचन्द द्वारा वाद वर्णित आराजी वादी को समर्पित की गई थी तो वादी प्रतिवादी के जीवनकाल में ही वाद वर्णित आराजी को अपने नाम करवाने हेतु कानूनन कार्यवाही सम्पादित करवाते किन्तु उक्त कार्यवाही वादी द्वारा लालचन्द की मृत्यु के पश्चात पेश करने पर उक्त दस्तावेजात् की प्रमाणिकता संदेहास्पद प्रतीत होती है। वादी का यह कथन की लालचन्द जी ने प्रतिवादीगण की सहमति पर इकरारनामा आलेखित करवाया गया था यदि प्रतिवादीगण की सहमति से उक्त इकरारनामा एवं सहमति पत्र से आलेखित किया गया है तो वादी द्वारा लालचन्द जी की मृत्यु के पश्चात ही नामान्तकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही सम्पादित करवाते किन्तु वादी द्वारा उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये! समर्पण दिनांक 18.6.2008 नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है, जो कि किसी भी खातेदारी अधिकार को स्थानान्तरित करने हेतु प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा वाद वर्णित आराजी बाबत आपत्ति जाहिर करने से उक्त दस्तावेजात् खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने हेतु प्रमाणित माना जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता । अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

2. **आया उपरोक्त वर्णित आराजी बाबत स्वर्गीय लालचन्द द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित इकरार नामा हक-हकूक त्याग करने का बिना किसी दबाव के लिखा व निष्पादित करवाया गया है।**

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने स्वर्गीय लालचन्द द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित इकरार नामा हक-हकूक त्याग करने का बिना किसी दबाव के लिखा व निष्पादित करवाये जाने बाबत प्रमाणित करने हेतु देवीशंकर, जगदीश सेन एवं किशनलाल के बयान लेखबद्ध करवाये गये है। उक्त साक्ष्य शपथपत्रो के अवलोकन से वाद वर्णित आराजी का स्व0 लालचन्द जी द्वारा वादी के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित करवाया जाना माना जा सकता है। किन्तु वादी द्वारा उक्त इकरारनामा को लालचन्द जी की मृत्यु उपरान्त वादी द्वारा उक्त इकरारनामा के आधार पर फोती नामान्तकरण दर्ज क्यो नहीं करवाया गया, अथवा तत्समय उस नामान्तकरण की अपील क्यो नहीं की गई। जिससे यह प्रमाणित होना कि लालचन्द जी द्वारा वादी के पक्ष में

Scanned with OKEN Scanner

निष्पादित इकरारनामा हक हकूक त्याग करने का बिना किसी दबाव के लिखा व निष्पादित करवाया जाना संदेहास्पद है। अतः इस तनकी को प्रतिवादी के विरूद्ध वादी के पक्ष में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

3. **आया उपरोक्त वर्णित आराजी पर वादी दिनांक 18.06.2008 से निरन्तर काबिज है, एवं वादी रुबाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर प्रतिवादी को कब्जे काश्त, रहन बय नहीं करने बाबत पाबन्द करवाने का अधिकारी है।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है वादी द्वारा गवाह देवीशंकर, जगदीश सेन एवं किशनलाल के बयानो में ही यह अंकित किया है कि वाद वर्णित आराजी पर वादी मोडूलाल काबिज काश्त है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जो यह प्रमाणित करे कि वादी वाद वर्णित आराजी पर काबिज कास्त है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में वाद वर्णित आराजी पर काबिज काश्त होना अंकित किया है। प्रतिवादीगण वाद वर्णित आराजी के रेकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में विरोधाभासी तथ्यो के आधार पर उक्त तनकी को वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

4. **आया कि लालचन्द ने कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया तथा दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार कर वाद पेश किया गया।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट अंकित किया गया है कि लालचन्द जी द्वारा वादी के पक्ष में कोई इकरारनामा अथवा सहमति पत्र निष्पादित नही करवाया गया है। लालचन्द की मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त इकरारनामा की प्रमाणिकता केवल मात्र गवाहन् के आधार पर सिद्ध मानी जा सकती है वादी की ओर से पेश गवाहन ने उक्त इकरारनामा दिनांक 18.6.2008 निष्पादित करवाया जाना स्वीकार किया है। अतः इस तनकी को वादी के पक्ष में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

5. **आया कि वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा है।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था । प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश कर वाद वर्णित आराजी स्वयं के खातेदारी अधिकार में है एवं वाद वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज कास्त है। वाद वर्णित आराजी पर कौन काबिज कास्त है इस बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रमाणित दस्तावेजात् पेश नहीं किये गये है। वादी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत तीरथ द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र पेश किया गया है जिसमें वाद वर्णित आराजी पर वादी का काबिज कास्त होना अंकित किया गया है। दोनों ही पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज जिससे यह स्पष्ट हो कि वाद वर्णित आराजी पर इसका कब्जा काश्त है, पेश नहीं किया गया है। अतः इस तनकी को प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरूद्ध आंशिक स्वीकार किया जाता है।

6. **आया उपरोक्त वर्णित आराजी बाबत प्रतिवादीगण के पिता व पति लालचन्द ने कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया एवं वादी का कब्जा नहीं हैं। इस कारण दावा खारिज होने योग्य है।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादीगण जवाब दावा के चरण सं0 3 में वादी के इस कथन को अस्वीकार किया है कि लालचन्द जी द्वारा कोई दस्तावेज वादी के पक्ष में निष्पादित किया गया हो। लालचन्द जी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है। वाद वर्णित आराजी पर लालचन्द जी का कब्जा रहा है एवं उनके देहांत पश्चात प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वाद वर्णित आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार में दर्ज रिकॉर्ड होने से एवं पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज जिससे यह प्रतीत हो जिससे वाद वर्णित आराजी किसके कब्जे में है। स्पष्ट नहीं है केवल मात्र वकील वादी के बयानों एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी पत्र में वादी का कब्जा होना अंकित किया है। अतः इस तनकी को प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरूद्ध आंशिक स्वीकार किया जाता है।

7. **अनुतोष** – वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के पिता लालचन्द द्वारा वादी के पक्ष में जर्ये इकरारनामा दिनांक 18.06.08 से वाद वर्णित आराजी को समर्पित किया गया। प्रकरण में प्रदर्श–3 पर प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र लालचन्द का अवलोकन करने पर लालचन्द की मृत्यु 08.02.2011 को होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा उक्त इकरारनामा के आधार पर फोती नामान्तकरण स्वयं के पक्ष में दर्ज नहीं करवाकर दिनांक 09.09.2015 को वाद अंतर्गत धारा 88,89,92–ए व 188 आर.टी. एक्ट तहत पेश किया गया। वादी द्वारा लालचन्द जी की मृत्यु पश्चात उक्त इकरारनामे से फोती नामान्तकरण दर्ज करने हेतु क्या कार्यवाही की अथवा नहीं की गई तो क्यों? लालचन्द जी की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान के नाम दर्ज फोती नामान्तकरण 2117 पर तत्समय आक्षेप क्यों नहीं किया गया? क्या दोराने फोती नामान्तकरण प्रकिया वादी द्वारा इस इकरारनामे को प्रस्तुत नहीं किया गया था? ये प्रश्न वाद में अंकित तथ्यों की प्रमाणिकता को संदेहास्पद करते है। चूँकि वाद वर्णित आराजी के खातेदार लालचन्द जी के विधिक वारिसान है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र इकरारनामा प्रदर्श–2 के आधर पर प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। किसी भी राजस्व

Scanned with OKEN Scanner

रेकार्ड में खातेदारी अधिकार को स्थानापन्नरित करने की एक विधिक प्रक्रिया है किन्तु वाद वर्णित आराजी में वादी द्वारा उक्त विधिक प्रक्रियाओं का निर्वहन नहीं कर इकरारनामा के आधार पर वाद वर्णित आराजी पर अपने खातेदारी अधिकार होना अंकित किया गया है जबकि वाद वर्णित आराजी पर अन्तरणाधिकार के आधार पर भी मृतक खातेदार लालचन्द के विधिक वारिसान (प्रतिवादी 2 व 3) का प्रथम सूची अनुसार कानूनन हक अधिकार है जिन्हे इकरारनामा के आधार पर विलोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। वादी प्रकरण में लालचन्द जी की सम्पत्ति पर अपना विधिक अधिकार सिद्ध करने में असफल रहा है ऐसी स्थिति मे वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner